संख्या- 119 /2025/आर0एफ0-379/नौ-9-2025/002-ई-1698006

प्रेषक,

मो0 वासिफ,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
मेरठ।

नगर विकास अनुभाग-9 **लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2025**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में तृतीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-33/2023/RF-159/001-Comp.No.1698006, दिनांक-26.03.2023 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में नगर निगम, मेरठ के नवीन कार्यालय के निर्माण कार्य हेतु पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर निगम, मेरठ को रू0 4686.62 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 25 प्रतिशत की धनराशि रू0 1171.65 लाख अवमुक्त की गयी है। प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-235/2024/आर0एफ0-740/नौ-9-2024/001-E-1698006, दिनांक-12.11.2024 द्वारा द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 1640.317 लाख निर्गत की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुये सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ के पत्र संख्या-295/सा0नि0वि0-न0नि0मे0/2024-25, दिनांक-11.03.2025 द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, मेरठ को **तृतीय किश्त की धनराशि रू0 624.77 लाख (रूपये छः करोड़ चौबीस लाख सतहत्तर हजार मात्र)** अनुदान संख्या-37, पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

<u>नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02मल जल तथा सफाई-**191- नगर निगम निकायों** को सहायता-05-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

(2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग **दिनांक-31 दिसम्बर, 2025 तक** करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र/ पूर्णता प्रमाणपत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) निकाय प्रश्नगत परियोजनाएं पूर्ण कर उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य को जनपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(5) शासनादेश संख्या-33/2023/RF-159/001-Comp. No. 1698006, दिनांक-26.03.2023 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि नगर आयुक्त प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेगे, तदोपरांत तृतीय किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

(7) नगर निगम, मेरठ द्वारा उक्त कार्यालय भवन का थर्ड पार्टी या किसी स्वतन्त्र संस्था से इंजीनियरिंग के एसपेक्ट पर विशेष ध्यान देते हुए ऐसेसमेन्ट कराया जायेगा। प्रत्येक निरीक्षण कार्य करने के उपरान्त नगर निगम को स्थलीय रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें की गयी संवीक्षाओं का समाधान कार्यदायी संस्था/नगर निगम, मेरठ द्वारा किया जाएगा।

(8) स्वीकृत की जा रही तृतीय किश्त की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक-19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 624.77 लाख (रूपये छः करोड़ चौबीस लाख सतहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या 037** लेखा शीर्षक **6215021910500** पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/ दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

30.03.25

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 119 /2025/आर0एफ0-379/नौ-9-2025/002-ई-1698006, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, मेरठ।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
8. कोषाधिकारी, नगर निगम, मेरठ।
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
10. स्टेट पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,

30.03.25

(मो0 वासिफ)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-30/03/2025

प्रेषण संख्या:- 119
आवंटन आदेश संख्या:- 001-119-2025-RF-379-9-9-2025-002-E-1698006
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
191 - नगर निगमों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	मेरठ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	62477000 226508700	62477000 226508700
	योग	वर्तमान प्रगामी	62477000 226508700	62477000 226508700

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छ: करोड़ चौबीस लाख सतहत्तर हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया बाइस करोड़ पैंसठ लाख आठ हजार सात सौ

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव